कार्यालय जिला अधिकारी बलिया ।

वाहन नीलामी नोटिस

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि **"न्यायिक प्रतिष्ठान बलिया"** को स्वीकृत **अम्बेस्डर कार सं० U.P.60A/5653** पेट्रोल चलित वाहन माडेल-1998 को माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया द्वारा निष्प्रयोज्य घोषित कर निष्प्रयोज्य प्रमाण पत्र सं0 410/15 दिनांकित 19।09।16 माननीय उच्च न्यायालय प्रेषित किया गया ।मा0 उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त वाहन को शा0सं0 1914/30-4-2002-38/90 दिनांकित 5।8।2002 के शर्तो के अधीन नीलाम किया जाना है । जिसकी **नीलामी हेतु दिनाक 28।11।2016** नियत की जाती है । उक्त वाहन की नीलामी न्यायिक प्रतिष्ठान वलिया के दस कक्षीय न्यायालय भवन के केन्द्रीय समागार कक्ष में नियत दिनाक को सायं 4 वजे से की जायेगी । नीलामी खुली बोली के आधार पर सम्पन्न की जायेगी ।अत: जिन महानुभाव को उक्त वाहन की नीलामी लेनी हो वे उक्त तिथि, समय व स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी में भाग लेकर नीलामी ले सकते हैं ।

बोली लगाने की शर्ते

1 उपरोक्त वर्णित वाहन की नीलामी में भाग लेने के लिये बतौर जमानत 10000 रूपये जमा करना होगा ।

2 जिस व्यक्ति द्वारा जमानत की धनराशि जमा नही की जायेगी, वह नीलामी में भाग नही ले सकते हैं ।

3 नीलामी लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति किसी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर सिविल कोर्ट वलिया से सम्पर्क करके वाहन का निरीक्षण कर सकते हैं ।

4 नीलामी में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों को निवास प्रमाण पत्र/पहचान प्रमाण पत्र की छायाप्रति दाखिल करना होगा एवं मूलप्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा ।

6 जिस व्यक्ति की बोली सबसे अधिक होगी नीलाम की कार्यवाही उसके पक्ष में सम्पादित की जायेगी ।

7 नीलामी स्वीकृत होने पर नीलाम लेने वाला व्यक्ति स्वयं अपने खर्चे पर वाहन को ले जायेगा।

8 जिस व्यक्ति द्वारा नीलामी में सबसे अधिक लगायी जायेगी, उसे नीलाम की आधी धनराशि तत्काल तथा आधी धनराशि अन्दर सप्ताह जमा करना अनिवार्य होगा । सम्पूर्ण धनराशि जमा होने पर ही नीलाम स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी । सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने की स्थिति में जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।

9 उपरोक्त सरकारी वाहन की सरकारी बोली परिवहन विभाग की आख्याअनुसार अंकन 25000/- रूपये नियत की जाती है ।

अध्यक्ष

नीलाम समिति / नगर मजिस्ट्रेट

वलिया ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित ...